सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक.एक अध्ययन

डॉ. आर.के.पाटिल
शोध निर्देशक
प्राचार्य (वाणिज्य विभाग)
शासकीय महाविद्यालय,
टिमरनी, हरदा (म.प्र.)

श्रीमती तृप्ति शुक्ला (सराफ)
शोधार्थी
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रस्तावना :–

बैंकिंग प्रणाली को किसी भी देष की आर्थिक उन्नति एवं उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तम्भ माना गया है। सम्पूर्ण जगत में पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ीकरण का एक नया दौर प्रारम्भ हुआ है एवं घरेलू एवं विदेषी बाजारों का दायरा निरन्तर दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बैंकों द्वारा जनता के माध्यम से जमा की गई राषि प्राप्त करके आवष्यकतानुसार व्यक्तियों एवं व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है। जनता से ऋण एवं ब्याज की राषि प्राप्त करके उसे पुनः जरूरतमंद ग्राहकों को उपलब्ध कराना बैंक का विषेष कार्य माना गया है। बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी सम्बंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करता है एवं अपने ग्राहकों के लिए विदेषी विनिमयों के क्रय–विक्रय से संबंधित कार्य भी करता है जिससे बैंक एवं ग्राहक विदेषी व्यापार के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक वर्तमान के वर्षों में बैंकिंग उद्योग जगत के लिए एक नई अवधारणा के रूप में तीव्र गति से उभरकर आया है।

शोध अवधि

शोधार्थी द्वारा सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक का अध्ययन वर्ष 2012–13 से 2016–17 के आधार पर किया गया है।

शोध प्रविधि

किसी भी शोध–कार्य को करने के लिए समंकों एवं साहित्य की आवश्यकता होती है। समंक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं – प्राथमिक समंक द्वितीय समंक। शोधार्थी द्वारा शोध पत्र तैयार करने के लिए विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों के साथ इंटरनेट एवं आवश्यक पुस्तकों की सहायता ली गई है।

शोध के उद्देश्य

- सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की अवधारणा का अध्ययन करना।
- बैंक के उद्देश्यों का अवलोकन करना।
- बैंक की विशेषताओं का अध्ययन करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वर्तमान में ग्रामीण बैंक के नाम से सम्बोधित किया जाता है जो कि विभिन्न राज्यों में अपने–अपने नाम से जाना जाता रहा है। शोधार्थी द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेष के जरिये अस्तित्व में लाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा कृषि से संबंधित क्षेत्रों का विकास करना रहा है। संभवतः यह माना गया है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अक्टूबर 1975 को अस्तित्व में लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नरसिंहा राव कमेंटी स्थापित करने की अनुसंषा की गयी जिसमें यह दर्षाया गया कि लगभग 70 प्रतिषत भारत की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम न्यूनतम दर पर वित्तिय सुविधाओं को पहुँचाने के साथ–साथ अन्य सुविधाएँ भी पहुँचाई जाए।

9 फरवरी 1976 को इस अध्यादेश का स्थान क्षेत्रीय बैंक अधिनियम 1976 ने ले लिया। इस अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं के विकास के उद्देश्य के लिए विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि, श्रमिकों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों तथा उनसे संबंधित आवश्यकताओं हेतु साख व सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में निरंतर उतार–चढ़ाव होते रहे हैं क्योंकि यह एक प्रायोजित बैंक होते हैं और सुचारू रूप से न चलने की स्थिति में एक दूसरे बैंक से मर्ज कर दिये जाते हैं।

सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक

भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.10.2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों – सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रवर्तक बैंक– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया), विदिशा–भोपाल ग्रामीण बैंक (प्रवर्तक बैंक–एस.बी.आई.) एवं महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रवर्तक बैंक – यूको बैंक) का समामेलन कर सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हुए प्रवर्तक बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया एवं इसका प्रधान कार्यालय, छिन्दवाड़ा रखा गया।

शाखा विस्तार

सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा अपनी 451 शाखाओं के साथ 25 जिलों में बैंकिंग सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 08 क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए कार्यरत है। आलोच्य वर्ष में बैंक द्वारा कुल 28 नवीन शाखाएँ खोली गई हैं, जिनमें से 10 शाखाएँ बैंक विहीन क्षेत्रों में खोली गई है। जिन जिलों में बैंक का कार्यक्षेत्र है वे होशंगाबाद, मण्डला, उमरिया, रतलाम, भिण्ड, ग्वालियर, रायसेन, बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर, मंदसौर, मुरैना, दतिया, हरदा, डिण्डोरी, शहडोल, बैतूल, नीमच, श्योपुर, छिन्दवाड़ा, विदिशा, भोपाल, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर हैं।

बैंक की विषेषताऐं

1. सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः अल्प वर्ग के किसानों, भूमिहीन मजदूरों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए की गई है। जिसका लाभ उठाते हुए उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी वित्त से संबंधित आवष्यकताओं की पूर्ति आसानी से की गई है।
2. सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बैंकिंग सेवायें प्रदान करते हुए देष के आर्थिक विकास की और भी ध्यान दिया गया है।
3. शोधार्थी द्वारा सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक की विषेषताओं में एक मुख्य विषेषता यह देखने को मिली है कि बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं का ढाँचा तैयार करते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माध्यम से वित्तीय संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
4. सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक की मुख्य विषेषता ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की आवष्यकताओं को पहचानते हुए उन्हे आर्थिक सहायता पहुँचाना है।
5. सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन में सहायता प्रदान करती है।

बैंक के उद्देश्य

सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों द्वारा उनकी अधिक माँग के आधार पर की गई है, विषेष तौर पर वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी अधिकतम माँग की गयी है। ग्रामीण इलाकों में अन्य सहकारी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के स्थापित होने के बावजूद भी मध्यप्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण नागरिकों द्वारा मध्यप्रदेष राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित करने की मांग की गयी जिससे उनको अपनी वित्तीय आवष्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन आसानी से सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके। सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक के स्थापित होने के बाद यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों को कम लागत पर ऋण राषि उपलब्ध हो पा रही है जिससे ग्रामीण अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सामान्यतः सम्पूर्ण भारत के हर राज्य में की जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो राषि सहयोग पूर्ण प्रदत्त की गई है वो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य एकीकृत बैंकों द्वारा प्रदान की गई है जो कि क्रमषः 50:15:35 के आनुपातिक रूप में हैं

सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य रहा है कि वह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैंक की प्रगति के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य या अन्य लघु उद्योगों को विकसित करने में कार्यरत व्यक्तियों एवं लघु उद्योगपतियों को वित्त की व्यवस्था प्रदान करने के लिए बेहतर सेवाएँ प्रदान करें एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ अधिक से अधिक प्रदान करे।

निष्कर्ष

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट, अभिनव एवं अध्याधुनिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक रिपोर्ट में सुधार लाते हुए समस्त गाँवों में विकास के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं। अतः बैंकिंग सुविधाओं से

वंचित आम लोगों को बैंकिग सेवाओं से जोड़ने के लिए एवं देश के विकास हेतु ग्रामीण इलाकों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सुझाव

बैंक को कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता है जिनकी सकारात्मक सोच के साथ बैंक की प्रगति एवं सफलता निश्चित है। बैंक अपने उद्देश्यों के साथ संतोषजनक कार्य कर रही है, परंतु बैंक की कार्यप्रणाली क्षेत्र एवं जिले की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। बैंक को अपनी कार्य नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- त्रिवेदी हरर्णे एवं नेमा–भारतीय बैंकिंग प्रणाली रमेश बुक डिपो 2004–5
- बी.एम.जैन–रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- त्मेमतअम ठंदा वि प्दकपं . छवजमे वद त्महपवदंस त्नतंस ठंदा व्तकपदंदबमए 1975ण् त्ठप् ठनससमजपदए श्रंदनंतल 1976ण्
- ब्डच्ळठ ंददनंस तमचवतज 2013.14
- ूण्तइपण्बवण्पद
- म्बवदवउपबे ज्पउमे